भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 473

जिसका उत्तर 25.07.2024 को दिया जाना है

केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि

473. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:
प्रोफ. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री संजय दीना पाटिल:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते-पाटील:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
श्री मनीष जायसवाल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विशेषकर महाराष्ट्र द्वारा एकत्र और व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र में सीआरआईएफ के अंतर्गत चल रही सड़क परियेाजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र और झारखंड में सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत विकास के लिए नई सड़कों की पहचान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या झारखंड और महाराष्ट्र में सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत नई सड़कों के विकास के लिए धनराशि आवंटित की गई है;

(ड.) क्या महाराष्ट्र और झारखंड में विगत पांच वर्षों के दौरान चयनित सड़कों और आरंभ किए गए निर्माण कार्यों का ब्यौरा उपलब्ध है और यदि हां, तो इन कार्यों के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(च) क्या सरकार को इन रिपोर्टों की जानकारी है कि सीआरआईएफ का न तो समुचित उपयोग किया गया है और न ही इसके अंतर्गत आरम्भ किया गया कार्य संतोषजनक रहा है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार सीआरआईएफ से प्राप्त धनराशि का उपयोग करने और कार्यों को प्रभावी और समुचित ढंग से निष्पादित कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) मंत्रालय संशोधित सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) योजना के तहत राज्यीय सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को धन आवंटित करता है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए निधियों के उपार्जन और निर्मुक्ति/ व्यय का महाराष्ट्र राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) वर्तमान में, महाराष्ट्र राज्य में 6,306 करोड़ रुपये की लागत वाली लगभग 1,604 किलोमीटर लंबी राज्यीय सड़क परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं।

(ग) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों में सीआरआईएफ योजना के तहत स्वीकृत/अंतिम रूप दी गई राज्यीय सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

स्वीकृत / अंतिम रूप दिया गया			
राज्य	संख्या	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ रु. में)
झारखंड	17	216	1,128
महाराष्ट्र	812	5,466	9,339

(घ) मंत्रालय ने झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों के लिए सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत राज्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए धनराशि आवंटित की है, जिसका विवरण भाग (क) के उत्तर में संदर्भित **अनुबंध** में है।

(ङ) झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों में सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत कार्यान्वयनाधीन राज्यीय सड़क परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

कार्यान्वयन के अधीन			
राज्य	संख्या	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ रु. में)
झारखंड	15	240	1,272
महाराष्ट्र	304	1,604	6,306
* उपरोक्त परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है			

(च) और (छ) सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत निधियों के अनुचित उपयोग की कोई रिपोर्ट मंत्रालय के संज्ञान में नहीं आई है।

सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 की धारा 7क और 11 के आधार पर मंत्रालय ने मानदंडों को अंतिम रूप दिया है, जिसमें नियमित अंतराल पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर किए जाने वाले कार्यों की परियोजना निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रावधान है।

अनुबंध

'**केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि**' के संबंध में डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे**,** श्री निलेश ज्ञानदेव लंके**,** श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल, प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़, श्री संजय दीना पाटिल, श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते-पाटील, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री भास्कर मुरलीधर भगरे, श्री बजरंग मनोहर सोनवणे और श्री मनीष जायसवाल द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2024 को पूछा गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **473** के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रतिवर्ष सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए निधियों के उपार्जन और निर्मुक्ति/ व्यय का महाराष्ट्र राज्य सहित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा: -

राशि करोड़ रुपये में

क्रम संख्या	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2019-20**		**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**		**2024-25 (30.06.2024 तक)**	
		उपार्जित	**निर्मुक्त**	**उपार्जित**	**निर्मुक्त**	**उपार्जित**	**निर्मुक्त**	**उपार्जित#**	**निर्मुक्त#**	**उपार्जित#**	**निर्मुक्त#**	**उपार्जित#**	**निर्मुक्त#**
1	आंध्र प्रदेश	349.64	350.08	325.54	322.00	334.96	300.80	380.19	356.55	420.10	485.48	420.00	
2	अरुणाचल प्रदेश	133.20	126.61	125.48	42.03	128.39	128.33	147.65	183.63	167.75	238.00	168.04	
3	असम	149.03	149.03	140.74	220.81	143.80	77.51	169.64	122.82	194.65	223.24	193.55	58.46
4	बिहार	210.35	223.16	195.30	425.93	201.16	447.06	226.47	226.47	258.43	258.43	255.17	
5	छत्तीसगढ	254.60	371.61	237.50	234.92	245.74	230.29	281.12	86.92	320.19	353.60	322.62	
6	गोवा	15.67	7.29	14.43	0.00	13.41	0.00	16.26	0.00	18.47	48.16	17.79	
7	गुजरात	451.33	718.87	424.68	430.74	434.06	725.29	509.31	249.12	586.35	73.79	585.01	
8	हरियाणा	185.10	200.77	167.73	78.54	177.05	163.71	197.73	0.00	205.63	108.60	203.31	
9	हिमाचल प्रदेश	103.27	87.12	97.27	95.95	99.74	188.01	117.73	169.05	136.32	136.32	130.95	
10	झारखंड	171.07	137.67	160.88	78.77	164.33	40.79	184.96	81.56	207.57	192.64	208.51	
11	कर्नाटक	476.84	382.57	439.77	434.99	443.11	442.90	513.13	465.27	608.06	660.91	608.81	
12	केरल	140.54	0.00	132.26	273.99	126.77	126.71	147.19	133.46	171.14	186.37	166.06	

राशि करोड़ रुपये में

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25 (30.06.2024 तक)	
		उपार्जित	निर्मुक्त	उपार्जित	निर्मुक्त	उपार्जित	निर्मुक्त	उपार्जित#	निर्मुक्त#	उपार्जित#	निर्मुक्त#	उपार्जित#	निर्मुक्त#
13	मध्य प्रदेश	579.67	693.25	541.01	535.13	556.21	622.93	632.99	573.96	719.10	778.13	721.61	304.87
14	महाराष्ट्र	728.84	629.83	683.27	675.84	683.80	390.27	783.19	1,084.15	886.63	886.63	891.52	
15	मणिपुर	38.00	12.64	35.85	13.22	36.60	13.43	42.10	13.81	48.37	146.98	46.87	
16	मेघालय	43.34	29.10	40.81	76.93	40.63	90.55	47.51	43.08	54.83	78.42	55.37	
17	मिजोरम	34.55	34.55	32.56	32.28	33.14	22.06	38.20	10.96	43.62	35.60	43.86	
18	नागालैंड	27.87	9.29	26.44	37.41	27.02	27.00	31.31	28.39	35.54	46.09	35.79	
19	ओडिशा	308.94	286.96	289.54	534.19	298.67	535.07	340.95	313.52	387.41	423.41	392.13	113.35
20	पंजाब	159.60	259.37	148.77	141.18	149.41	193.35	176.96	106.84	195.33	72.04	195.97	
21	राजस्थान	669.01	415.17	622.71	141.81	627.89	148.40	715.82	906.62	812.41	745.90	816.17	
22	सिक्किम	12.89	4.29	12.09	3.98	12.06	25.78	14.09	17.04	16.27	28.04	16.18	
23	तमिलनाडु	379.65	262.37	352.04	503.17	350.32	350.15	402.67	377.63	457.11	486.15	457.75	
24	तेलंगाना	276.37	234.06	256.08	253.29	262.01	261.88	304.27	275.89	335.09	366.38	335.58	141.77
25	त्रिपुरा	19.13	22.03	17.89	48.84	18.49	33.76	21.23	19.42	23.94	25.92	24.01	
26	उत्तर प्रदेश	624.31	541.09	582.69	576.36	616.59	616.29	702.42	658.75	777.40	821.07	777.88	328.63
27	उत्तराखंड	103.98	42.58	97.23	61.34	98.85	98.80	114.01	378.17	129.83	140.46	129.95	
28	पश्चिम बंगाल	224.70	451.67	209.20	136.11	213.97	287.06	240.31	217.90	275.67	298.08	272.75	
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	20.22	6.74	15.12	15.12	15.17	10.08	17.49	15.81	19.75	16.68	19.75	
30	चंडीगढ़	5.65	0.00	6.16	0.00	4.76	0	6.55	0.00	7.39		7.40	

<table>
<tr><td colspan="14" align="right">राशि करोड़ रुपये में</td></tr>
<tr><th rowspan="2">क्रम संख्या</th><th rowspan="2">राज्य/संघ राज्य क्षेत्र</th><th colspan="2">2019-20</th><th colspan="2">2020-21</th><th colspan="2">2021-22</th><th colspan="2">2022-23</th><th colspan="2">2023-24</th><th colspan="2">2024-25
(30.06.2024 तक)</th></tr>
<tr><th>उपार्जित</th><th>निर्मुक्त</th><th>उपार्जित</th><th>निर्मुक्त</th><th>उपार्जित</th><th>निर्मुक्त</th><th>उपार्जित#</th><th>निर्मुक्त#</th><th>उपार्जित#</th><th>निर्मुक्त#</th><th>उपार्जित#</th><th>निर्मुक्त#</th></tr>
<tr><td>31</td><td>दादरा एवं नगर हवेली</td><td>4.57</td><td>4.57</td><td rowspan="2">5.61</td><td rowspan="2">5.61</td><td rowspan="2">4.80</td><td rowspan="2">2.38</td><td rowspan="2">5.74</td><td rowspan="2">0.31</td><td rowspan="2">6.50</td><td rowspan="2">0.00</td><td rowspan="2">6.49</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>32</td><td>दमन और दीव</td><td>2.80</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>33</td><td>दिल्ली</td><td>59.99</td><td>0.00</td><td>34.15</td><td>0.00</td><td>27.20</td><td>0</td><td>32.06</td><td>0.00</td><td>36.31</td><td></td><td>36.31</td><td></td></tr>
<tr><td>34</td><td>जम्मू और कश्मीर</td><td>137.85</td><td>152.96</td><td>94.51</td><td>79.40</td><td>96.91</td><td>321.18</td><td>113.61</td><td>343.61</td><td>128.67</td><td>206.67</td><td>128.67</td><td></td></tr>
<tr><td>35</td><td>लद्दाख</td><td>103.82</td><td>17.36</td><td>246.22</td><td>96.95</td><td>250.83</td><td>0.00</td><td>289.06</td><td>83.44</td><td>326.41</td><td>68.10</td><td>326.41</td><td></td></tr>
<tr><td>36</td><td>पुदुचेरी</td><td>12.01</td><td>4.00</td><td>8.47</td><td>8.47</td><td>7.39</td><td>5.18</td><td>10.39</td><td>7.83</td><td>11.76</td><td>9.94</td><td>11.76</td><td></td></tr>
</table>

कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उस राज्य द्वारा उपार्जित निधि से अधिक निधि उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पिछले वर्षों के अव्ययित शेष से जारी की गई है।

 # सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत सेतु बंधन के अंतर्गत राज्य सड़कों पर आरओबी/आरयूबी/पुलों के निर्माण के लिए आवंटित/जारी धनराशि भी शामिल है।

*****